

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश,
"निर्माण भवन" प्रथम तल, प्लाट नं. 27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल

Website: www.mppwd.gov.in

email:-sepwdadminenc@mp.nic.in

Phone- 0755-2551316, Fax- 2556527

क्रमांक 304/035/स्थाना./2017/1222

भोपाल,दिनांक 10/07/2017

//आदेश//

लोक निर्माण विभाग में पदस्थ निम्नलिखित उपयंत्रियों को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानान्तरण कर, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	स्थानान्तरण पश्चात पदस्थगी स्थान	स्थानान्तरण का आधार
1.	श्री सुरेश चन्द्र राठौर उपयंत्रि(सिविल)	लोक निर्माण विभाग, अशोकनगर संभाग, अशोकनगर	लोक निर्माण विभाग, दतिया संभाग, दतिया	प्रशासनिक
2.	श्री रविन्द्र कुमार नवेरिया उपयंत्रि(सिविल)	लोक निर्माण विभाग, नरसिंहपुर संभाग, नरसिंहपुर	लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. जबलपुर	प्रशासनिक
3.	श्री यू.के. मिश्रा उपयंत्रि(सिविल)	लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. सिंगरौली	लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. सीधी	प्रशासनिक
4.	श्री डी.के.साहू, उपयंत्रि(सिविल)	लोक निर्माण विभाग, बुधनी संभाग, बुधनी	लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-2., भोपाल	प्रशासनिक
5.	श्री हरिशंकर दुबे, उपयंत्रि(सिविल)	लोक निर्माण विभाग, नरसिंहपुर संभाग, नरसिंहपुर	लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-2, जबलपुर	प्रशासनिक

(अखिलेश अग्रवाल)

प्रमुख अभियन्ता,


लोक निर्माण विभाग, म.प्र.भोपाल
0755-2551485

पृष्ठांकन क्रमांक 304/035/स्थाना./2017/1223
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 10/07/2017

- विशेष सहायक,माननीय मंत्रीजी,लोक निर्माण विभाग,टीप क्रमांक 2049 व 2057 दिनांक 10.07.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग,मंत्रालय भोपाल।
- प्रोजेक्ट डायरेक्टर, लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. मध्यप्रदेश भोपाल।
- समस्त मुख्य अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
- समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. मध्यप्रदेश।
- अधीक्षण यंत्रि, आई.टी.सेल कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- समस्त अधीक्षण यंत्रि,लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
- समस्त कार्यपालन यंत्रि, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
- समस्त संभागीय परियोजना यंत्रि, लोक निर्माण विभाग,पी.आई.यू. मध्यप्रदेश।
- समस्त जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश।
- समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

12. वरिष्ठ निज सहायक(प्र.अ.)कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
13. संबंधित के नाम से श्री _____ उपयंत्री द्वारा:-
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, _____।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. समस्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी सुनिश्चित करेंगे, कि यथास्थिति दो सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बढी हुई समयावधित व्यतीत हो जाने पर स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किया जाए। उक्त अवधि में स्थानान्तरित अधिकारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एकतरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वयन होना माना जावेगा।
3. कार्यमुक्त होने के पश्चात स्थानान्तरित अधिकारी का वेतन नवीन पदस्थगी से ही आहरित किया जायेगा।



(अखिलेश अग्रवाल)

प्रमुख अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग, म.प्र. भोपाल

0755-2551485

18/11/17